<u>न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बडवानी</u> (समक्ष— 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय्')

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 118/2016</u> संस्थित दिनांक 26.02.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी, जिला बडवानी

–अभियोगी

वि रू द्व

पुष्पेन्द्र पिता लखनलाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी बिन्द्रावन कॉलोनी पिथमपुर वार्ड—14 सेक्टर नम्बर 1 थाना पिथमपुर

<u> –अभियुक्त</u>

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता — श्री विशाल कर्मा

-: <u>निर्णय</u>:-

(आज दिनांक 26-12-2016 को घोषित)

- 1— पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 333 / 2015 के आधार पर आरोपी के विरूद्ध दिनांक 06.11.2015 को शाम के लगभग 3:30 बजे फरियादी श्याम महाजन की दुकान ठीकरी से उसके अधिपत्य से सेमसंग कंपनी का मोबाईल सफेद रंग का मॉडल ए—5 जिसका आईएमईआई नम्बर 356320064511852 कीमती लगभग 5,000 / उसकी सहमति के बिना सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक हटाकर चारी करने के लिये भा द वि की धारा 380 का आरोप है।
- 2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।
- 3— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.11.2015 को फरियादी श्याम महाजन ने थाना ठीकरी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी मेन रोड ठीकरी सोसायटी के सामने कीटनाशक दवाई है। दिनांक 12.05.2015 को बॉम्बे रेडियो एण्ड वॉच कंपनी झण्डा चौक बड़वानी से सेमसंग कंपनी का नय मोबाईल मॉडल ए—5 सफेद रंग का खरीदा था, जिसमें एयरटेल कंपनी की सिम लगी थी को, आज दिनांक 06.11.2015 को दिन के 3:30 बजे के लगभग उसकी दुकान के काउन्टर पर रखा था जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया है। फरियादी श्याम महाजन की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी पर अपराध कमांक 333/15 दर्ज कर, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, फरियादी से उक्त मोबाईल का बिल जप्त किया गया और मोबाईल के आईएमईआई नम्बर 356320064511852 के आधार पर मोबाईल

को निगरानी में रखा गया और उक्त मोबाईल आनंद शर्मा से जप्त किया गया, जिसने उक्त मोबाईल आरोपी पुष्पेन्द्र से खरीदना बताया था। अतः आरोपी पुष्पेन्द्र को उक्त अपराध में गिरफ्तार किया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4— उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्त पुष्पेन्द्र पर भादवि की धारा 380 का आरोप तथा आरोपी आनंद शर्मा पर भा.द.वि. की धारा 411 का आरोप लगाया गया। प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी द्वारा राजीनामा किये जाने के आधार पर आरोपी आनंद शर्मा को भा.द.वि. की धारा 411 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा आरोपी पुष्पेन्द्र पर भा.द.वि. की धारा 380 का आरोप होने से उक्त अपराध अशमनीय प्रकृति का होने से उक्त राजीनामा निरस्त किया गया। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य नहीं देना प्रकट किया।

5— प्रकरण के युक्तियुक्त निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि :—

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या दिनांक 06.11.2015 को दिन के लगभग 3:30 बजे मेन रोड ठीकरी में फरियादी श्याम महाजन की दुकान से जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आती थी, उसके आधिपत्य का एक सेमसंग कंपनी का मोबाईल सफेद रंग का जिसका आईएमईआई नम्बर 356320064511852 जिसकी कीमत लगभग रूपये 5,000 / –को उसकी अनुमति के बिना बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी हुई थी ?
ब	क्या उक्त चोरी आरोपी पुष्पेन्द्र द्वारा की गई है?

विचारणीय प्रश्न कमांक—'अ' पर सकारण निष्कर्ष —

6— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी श्याम कुमार महाजन (अ.सा.1) का कथन है कि दिनांक 06.11.2015 की घटना है, उसने बॉम्बे रेडियों एवं वॉच कंपनी झंडा चौक बड़वानी से सेमसंग कंपनी का मोबाईल मॅडल ए—5 सफेद रंग का खरीदा था, जिसमें उसकी एयरटेल कंपनी सिम लगी थी, उसने अपना मोबाईल दुकान के काउंटर पर रखा था जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर लेकर चला गया, उसने थाना ठीकर पर प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन दोपहर के समय उसकी दुकान पर कोई आरोपी नहीं आया था।

- 7— राजेन्द्र सोलंकी (अ.सा.2) का कथन है कि दिनांक 06.11.2015 को फरियादी श्याम कुमार महाजन ने थाना ठीकरी पर आकर सेमसंग कंपनी का ए—5 सफेद रंग का मोबाईल दुकान के काउंटर से जिसमें एयरटेल कंपनी की सिमनं. 9630656400 लगी हुई दुकान के काउंटर से चोरी होने के संबंध में प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट लिखाई थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, उसने दिनांक 07. 11.2015 को घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 8— उक्त दोनों ही साक्षियों को बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया है कि उक्त फरियादी श्याम कुमार महाजन का उक्त मोबाईल चोरी नहीं हुआ था अथवा असत्य रिपोर्ट दर्ज कराई है।
- 9— ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, स्थान व समय पर फरियादी के आधिपत्य से उसकी दुकान पर रखा सेमसंग कंपनी का मोबाईल मॉडल ए—5 चोरी हुआ था।

विचारणीय प्रश्न कमांक-'ब' पर सकारण निष्कर्ष -

- 10— उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में राजेन्द्र सोलंकी (अ.सा.2) का कथन है कि दिनांक 07.11.2015 को थाना ठीकरी से प्रदर्श पी 3 का पत्र पुलिस अधीक्षक को भेजकर उक्त अपराध क्रमांक 333/15 में चोरी गये मोबाईल और एयरटेल कंपनी की सिम नम्बर 9630656400 तथा आईएमईआई नम्बर 356320064511852 को निगरानी में रखने का पत्र जारी किया था। दिनांक 19.01. 2016 को सायबर सेल बड़वानी से चोरी गये मोबाईल के आईएमईआई नम्बर 356320064511852 के आधार पर उक्त मोबाईल में सिम नम्बर 919926028890 ही चलना ज्ञात हुआ था जिसकी कॉल डिटेल प्रदर्श पी 4 20 पृष्ट में प्राप्त हुई थी और उक्त सिम आनंद पिता भेरूलाल निवासी वार्ड नंबर 14 आर्शिवाद टॉकिज वैष्णव कॉलोनी पिथमपुर जिला धार की थी जो प्रदर्श पी 5 तथा सायबर सेल से धरा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था जो प्रदर्श पी 6 है।
- 11— उसने आनंद से पूछताछ की थी तो उसने मोबाईल सेमसंग कंपनी का आरोपी पुष्पेन्द्र पिता लखन निवासी बिंद्रावन कॉलोनी पिथमपुर से रूपये 11,000 / में खरीदा था तथा उसके घर पर टेबल पर रखा है उक्त सूचना के आधार पर उसने प्रदर्श पी 8 का मेमोरेण्डम बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने आनंद के पेश करने पर उक्त मोबाईल संफेद रंग का जिसका आईएमईआई नम्बर 356320064511852 जिसमें आईडिया कंपनी की सिम नम्बर 9926028890 लगी थी प्रदर्श पी 9 के अनुसार जप्त किया था। उसने आरोपी पुष्पेन्द्र से पूछताछ की थी तो उसने उक्त मोबाईल में लगी सिम को उसकी किराना की दुकान में रखी होना बताया था जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 11 है। आरोपी पुष्पेन्द्र की किराना दुकान की तलाशी लेने पर उक्त सिम प्राप्त नहीं हुई, जिसका तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी 12 का बनाया था। उसने आरोपी पुष्पेन्द्र से ठीकरी में चोरी के स्थान की तस्दीक कराई थी जिसका पंचनामा प्रदर्श पी 13 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने फरियादी और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

12— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी ने प्रथमसूचना रिपोर्ट में मोबाईल में आईएमईआई नहीं लिखाया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि फरियादी ने जो बिल दिया था वह फेटोकापी थी और उसके द्वारा उक्त बिल का जप्ती पंचनामा नहीं बनाया गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुष्पेन्द्र की सिम चोरी गये मोबाईल में चली हो इस संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि उसने असत्य विवेचना की है अथवा असत्य कथन कर रहा है।

13— फरियादी द्वारा राजीनामा पेश करने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जबिक प्रकरण के फरियादी स्वयं ने आरोपी से राजीनामा किया है तथा जप्ती तथा पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी का परीक्षण आरोपी के द्वारा उक्त चोरी की सम्पित्त सेमसंग कपनी का मोबाईल आनंद शर्मा को आरोपी द्वारा बेचने या देने के संबंध में नहीं कराया है तो ऐसी स्थिति में जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी की एक मात्र साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने श्याम कुमार महाजन की दुकान से जो सम्पित्त की अभिरक्षा के उपयोग में आता है उसके आधिपत्य से सेमसंग कंपनी का उक्त मोबाईल फोन की चोरी की। अतः आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 380 का अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

14— अतः उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भा.द.वि. की धारा 380 के अपराध से आरोपी पुष्पेन्द्र पिता लखनलाल निवासी पिथमपुर के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अत : यह न्यायालय आरोपी पुष्पेन्द्र पिता लखनलाल निवासी पिथमपुर को भा.द.वि. की धारा 380 के अपराध से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित करता है।

15— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16— अभियुक्त के द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए ।

17— प्रकरण में जप्तशुदा सेमसंग कंपनी का मोबाईल पूर्व से उनके पंजीकृत स्वामी / सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दनामा, बाद अपील अविध, अपील न होने पर नियमानुसार उन्हीं के पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र. (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड, जिला बडवानी, म.प्र.